न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :266/2021

वादीगण–

1. रामेश्वरी देवी पत्नी रामधन, जाति–जाट निवासी–झाड़ेली, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शेरसिंह पुत्र पदमसिंह
2. सुरेश कंवर पत्नी पदमासिंह
3. सुमन कंवर पुत्री पदमसिंह
4. गजू कंवर पुत्री पदमसिंह
5. नन्दूकंवर पुत्री पदमसिंह
6. गोविन्दसिंह पुत्र पदमसिंह
7. निरूकंवर पुत्री पदमसिंह नाबालिग प्रतिवादी संख्या 6 व 7 सरक्षंक माता सुरेश कंवर पत्नी पदमसिंह जातियान राजपूत निवासीगण झाड़ेली तहसील जायल।
8. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 30/12/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बडेर की पुस्तैनी एवं सहखातेदारी की भूमि मौजा झाड़ेली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 603 रकबा 4.0145 हैक्टेयर रहती चली आई है जो प्रतिवादीगणों को पिता, पति के फौतगी नामान्तकरण के जरिये प्राप्त हुई है उक्त रकबा में से वादी रामेश्वरी ने दिनांक 03.07.2015 को प्रतिवादीगण के पिता–पति से रकबा 12 बीघा खरीदकर कब्जा काश्त जरिये रजिस्ट्रर्ड खरीककर प्राप्त किया था जिससे वादी का उक्त खेत खसरा नंबर 603 रकबा 4.0145 हैक्टेयर में से 12 बीघा में कानूनी हिस्सा निहित है। जिसके पड़ोसी उतर में इसी खसरे खसरा नंबर 603 का शेष रकबा दक्षिण में शायरसिंह राजपूत वगैरह का खेत , पूर्व में झुमरराम , रामधन, भोजाराम, का खेत , पश्चिम में शायरसिंह राजपूत वगैरह का खेत , पूर्व में झूमरराम , रामधन, भोजाराम, का खेत, पश्चिम में मोहनसिंह, भागीरथसिंह, लक्ष्मणसिंह का खेत लगता है। वादी के द्वारा दिनांक 03.07.2015 को ग्राम झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 603 रकबा 4.0145 हैक्टेयर (24.16 बीघा) में से 12.00 बीघा को जरिये रजिस्ट्रर्ड खरीदकर मौके पर भौतिक कब्जा प्राप्त करने के बावजूद

30/12/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ क्यों कि इसी दौरान ही खातेदार बेचानकर्ता पदमसिंह पुत्र जोरसिंह की मृत्यू हो गई जिससे खातेदार पदमसिंह की मृत्यू के बाद बाकी के खातेदारी के खेताय के साथ खेत खसरा नंबर 603 में पदमसिंह के वारिसान् का नामान्तकरण दर्ज हो गया। जिससे वादी के द्वारा खरीदे गये खेत के रकबे का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ व अपने हक में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के पिता, पति से खरीद करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता–पति के फौत होने पर वादी के खरीद किये गये रकबे के खेत के रकबे में नाम दर्ज नहीं होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ जबकि मौके पर वादी का उक्त खेत खसरा नंबर 603 रकबा 4.0145 हैक्टेयर (24.16 बीघा) में से 12.00 बीघा कब्जा काश्त है लेकिन वादी खातेदारी अधिकार से महरूम है। वादी द्वारा दिनांक 22.11.2021 को दिनांक 03.07.2015 को खरीदे गये खेत की नकल खतौनी लेने पर पता चला कि वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हुई जबकि वादी ने दिनांक 03.07.2015 को ही प्रतिवादीसंख्या 1 से 7 के पिता–पति से उपरोक्त रकबा 12.00 बीघा खरीदकर प्रतिफल की राशि अदा कर बेचान पंजीयन अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया था जिसके नामान्तकरण की कार्यवाही नियम 141 के तहत तहसीलदार जायल द्वारा की जानी थी लेकिन कार्यवाही नही हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता–पति की मृत्यू हो जाने से उनके नाम फौतगी का नामान्तकरण दर्ज कर दिये जाने से वादीनी के खरीदे गये रकबे की खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं होने से तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 603 रकबा 24.16 बीघा में से 12 बीघा में वादीनी को खातेदार घोषित करते हुवे डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने दिनांक 25.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत तंवरा में राजीनामा व ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा व ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में राजपेरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रामेश्वरी पत्नी रामधन नकल जमाबन्दी ग्राम झाड़ेली तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 281 पेश हुवे। कार्यालय उप पंजीयक डेह द्वारा पजीकृत कयनामें के दस्तावेज जो वादी रामेश्वरी देवी ने पदमसिंह पुत्र जोरसिंह से खसरा नंबर 603 रकबा 24.16 बीघा में से 12 बीघ कय किया था जो पत्रावली में सलंग्न है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा पत्रावली में

Scanned with CamScanner

जरिये राजीनामा व ईकबाली जबाब को वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 ने अपने पिता–पति द्वारा वादी रामेश्वरी देवी को किये गये 12 बीघा भूमि के बेचान की खातेदारी घोषणा हक बंट को जरिये राजीनामा आपसी सहमति से स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा व ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता–पति द्वारा पंजीकृत खरीदसुदा है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा व ईकबाली जबाब दिनांक 25.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली में वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व ईकबाली जबाब पर मनन व अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। हस्तगत प्रकरण में खसरा नंबर 603 रकबा 24.16 बीघा में से 12.00 बीघा का जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान रामेश्वरी देवी को दिनांक 03.07.2015 को पूर्व में ही हो चुका है। जमाबंदी के अनुसार खसरा नंबर 603 पर खातेदारी अधिकार पदमसिंह के फौत होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम जरिये नामान्तकरण से परिवर्तित हुआ है। उक्त खसरे में पदमसिंह के खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान हो जाने से तत्कालीन समय रामेश्वरी देवी के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना विधिसम्मत था परन्तु राजस्व रिकार्ड संधारण में हुई भूल से पदमसिंह का नाम रिकार्ड में यथावत बना रहा। इसलिये पदमसिंह के उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के नाम नामान्तकरण/ Fiscal Proceding हुई है जो कि प्रांरभ से ही शून्य है अर्थात NULL & Viod है। वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.11.2021 में वादी रामेश्वरी देवी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है। उपयुर्क्त प्रकार से वादीनी अपने हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

हमारी राय में मौजा झाड़ेली के वादग्रस्त खसरा नंबर 603 रकबा 24.16 बीघा में से 12 बीघा भूमि पदमसिंह से वादी द्वारा जरिये पंजीकृत बेचाननामें से खरीदसुदा है, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 पदमसिंह के उतराधिकारी है। वादी खरीदसुदा 12 बीघा भूमि की खातेदारी अपने हक में घोषणा करवा सकती है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा किसी

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रकार उजर आपति प्रस्तुत नहीं की है तथा उक्त खातेदारी घोषणा के संबध में अपनी सहमति जाहिर की है। विधिक रूप से फौतगी नामान्तकरण से पूर्व यह 12 बीघा की नामान्तकरण की प्रकिया पूर्ण होनी चाहिए थी क्यों कि खातेदारी अधिकारों का जरिये बेचान हस्तानान्तरण हो चुका है। फौतगी नामान्तकरण निरस्त होना चाहिये था इस प्रकरण में प्रतिवादीगण ने सहमति जाहिर की एवं स्वीकार किया है तो इस स्तर पर यदि फौतगी से नामान्तकरण जो भरा गया है , को निरस्त किया जाता है तो प्रकियागत जटिलाताएं बढेगी। हिस्सा या खातेदारी अधिकारी वादिया को 12 बीघा में ही मिलने हैं शेष भूमि यथावत प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के ही रहनी है। अतः मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 603 रकबा 24.12 बीघा में से 12 बीघा पर वादी रामेश्वरी देवी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 603 रकबा 24.12 बीघा में वादी रामेश्वरी देवी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ सहखातेदार घोषित निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. **यह है कि मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 603 रकबा 24.12 बीघा में से वादी रामेश्वरी देवी को 12 बीघा पर सहखातेदार घोषित किया जाता है।**
2. **शेष खाता बदस्तूर रखा जाता है।**

निर्णय आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

30/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :266/2021

वादीगण–

1. रामेश्वरी देवी पत्नी रामधन, जाति–जाट निवासी–झाड़ेली, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शेरसिंह पुत्र पदमसिंह
2. सुरेश कंवर पत्नी पदमासिंह
3. सुमन कंवर पुत्री पदमसिंह
4. गजू कंवर पुत्री पदमसिंह
5. नन्दूकंवर पुत्री पदमसिंह
6. गोविन्दसिंह पुत्र पदमसिंह
7. निरूकंवर पुत्री पदमसिंह नाबालिग प्रतिवादी संख्या 6 व 7 सरक्षंक माता सुरेश कंवर पत्नी पदमसिंह जातियान राजपूत निवासीगण झाड़ेली तहसील जायल।
8. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 8 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 603 रकबा 24.12 बीघा में वादी रामेश्वरी देवी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ सहखातेदार घोषित निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. **यह है कि मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 603 रकबा 24.12 बीघा में से वादी रामेश्वरी देवी को 12 बीघा पर सहखातेदार घोषित किया जाता है।**
2. **शेष खाता बदस्तूर यथावत रखा जाता है।**

30/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...30/12/2021..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

30/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner